

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)


उनवान

अशोक

बनाम

बुरेश कुमार वेअन्य

किस्म मुकद्मा 3191 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 B.T. & C.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम में जा
17.01.23	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उद्योग फसका एक उपो आपे। प्राचीन/प्राचीन जग को प्रायतः फस कोदेश न किपस ॥ जादी हवी फसो उपपापे जाके की निमित्त के लीकार की जाती है जिसके फल स्वरूप कृषि के खाद का त्वरीज किया जाता है। विस्तृत विवरण उक्त से लिखा जाकर खाद हलनाश (शाखित पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल बुआ (होका) मन्का से कर है। खाद त्वरीज लता जिला लेख मन्का है। बुआ गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कमिश्नर मुण्डावर (अलवर) राज </p>	

10/11/23 परावली पत्र (नुकसान उपर परावली) अंगुशिए

दिनांक 11/1/23 को पेश है
↓

11/1/23 परावली पत्र (नुकसान उपर परावली) अंगुशिए

दिनांक 16/1/23 को पेश है
↓

16/1/23 परावली पेश हुई। अब कर संघ, मुण्डापर द्वारा कार्य स्थान फिर जाने का वापन दिया है। परावली वास्तु आदेशिका अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/1/23 को पेश हो।

17/1/23

काल पर परावली पत्र हुई। नुकसान उपर कार्य वापी की शूल रावा परावली काल प्रारंभ पर 20/1/23 को ही कार्रवाई के कारण तारीख की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इन परावली का कोई कोर्सिल नहीं रह पाए। काल पर परावली की तारीख के तहत दिनांक 28/1/20 तहत सिविल जिले जा रहे। केवल पुकारा हो तब ही कर ही काइल करी तब ही शूल रावा रहे। पुकारा गुण

↓